राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2023 /

दिनांकः

मुख्य परीक्षा 2024 के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने सम्बन्धी संशोधित विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः एफ. NEP/शैक्ष. प्रथम / 2023 / 30696–31075 दिनांक 26.10.2023 व क्रमांकः एफ. NEP/शैक्ष. प्रथम / 2023 / 31834 दिनांक 22.11.2023 की अनुपालना व विज्ञप्ति क्रमांकः परीक्षा / 2023 / 4438–48 दिनांक 30.11.2023, क्रमांकः परीक्षा / 2023 / 4807–906 दिनांक 08.12.2023 एवं क्रमांकः परीक्षा / 2023 / 5509–5520 दिनांक 30.12.2023 की निरन्तरता में राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध / संघटक महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2023–24 के नियमित / पूर्व विद्यार्थियों / स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म **वेबसाईट** www.univraj.org पर ऑनलाईन माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रू. 100 / – सहित	विलम्ब शुल्क रू. 500 / – सहित	दोगुना (Double) परीक्षा शुल्क के साथ
1	बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के स्वयंपाठी परीक्षार्थी	—	—	11.01.2024 से 05.02.2024	06.02.2024 से 10.02.2024
2	बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम पार्ट– I (पूर्व छात्र) II एवं III (पास / ऑनर्स / एडीशनल) व स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध (समस्त नियमित, पूर्व छात्र व स्वयंपाठी परीक्षार्थी)	16.01.2024 से 27.01.2024	28.01.2024 से 01.02.2024	02.02.2024 से 05.02.2024	06.02.2024 से 10.02.2024
3	बी.एस.सी. (होम साईस, बायोटेक), बी.सी.ए., बी.बी.ए. (वार्षिक पद्धति), बी.पी.ए. / विज्यूअल आर्टस् / बी.म्यूजिक / बी.डिजाईन, बी.ए. (डीफ एण्ड डम्ब) पार्ट– I (पूर्व छात्र) II एवं III (समस्त नियमित एवं पूर्व छात्र)				
4	समस्त एकवर्षीय सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एड–ऑन कोर्सेज, मॉडर्न यूरोपियन लेंग्वेजेज (सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा), (समस्त नियमित परीक्षार्थी)				
5	बी.एड. / बी.एस.सी. बी.एड. / बी.ए.बी.एड / एल.एल.बी. एवं समस्त विधि डिप्लोमा (समस्त नियमित परीक्षार्थी)				

नोटः–

1. **सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए, आवेदन की अंतिम तिथि का इन्तजार ना करें।**
2. **परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाओं हेतु वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org का निरन्तर अवलोकन करें।**

सामान्य निर्देश

1. **नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा में पात्रता हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।**
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु ABC ID आवश्यक है। अतः विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर **स्वयं का मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी., आधार कार्ड नम्बर व ABC ID** दर्ज करें।
3. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा–निर्देश वेबसाईट **www.uniraj.ac.in and www.univraj.org** पर उपलब्ध हैं। परीक्षा संबंधी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट "अ" देखें। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हैण्डबुक के संबंधित अधिनियम विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देशों का अवलोकन करें।
4. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से होगी। परीक्षा शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। **परीक्षा शुल्क का भुगतान एक बार किये जाने के पश्चात् पुनः (दुबारा) भुगतान, 24 घंटे की समयावधि में पोर्टल पर Payment Verify करने पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में ही किया जावे। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापस (Refund) नहीं होगा।** भरे गये परीक्षा फॉर्मो में आवश्यक संशोधनों के लिए संशोधन शुल्क रू. 260 / – ऑनलाईन जमा कराने पर पोर्टल के माध्यम से किये जा सकेगें।
5. परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित जारी दिशा–निर्देशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा आवेदन पत्र तथा नामांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर मय आवश्यक दस्तावेजों तथा पूर्व में उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण सभी अंकतालिकाओं के साथ **आगामी दो कार्य दिवसों में, संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र को स्वीकार नहीं होगा।** अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा सह नामांकन आवेदन पत्र जमा करायें। **महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र ही स्वीकार होंगे।**
6. स्नातक (कला / विज्ञान) / स्नातकोत्तर परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः प्रायोगिक विषयों के प्रशिक्षण हेतु संबंधित **महाविद्यालयों में सम्पर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।**
7. परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर **7726953531** अथवा टोल फ्री नम्बर **18001806433** एवं आई.सी.आई.सी. बैंक का हेल्प लाईन नम्बर **9372505528** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक

कृ.पृ.उ.

क्रमांक : परीक्षा / 2023 / 139–288 दिनांक: 12/1/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. (अ) समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स एवं प्राचार्य, संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजो के साथ संलग्न हैं एवं सही है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण, दिशा निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर उपलब्ध है। **विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र / महाविद्यालय कोड़ आवश्यक रूप से अंकित करें।**

(ब) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा परीक्षा फार्मो के साथ संलग्न करना होगा।

(स) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा आवेदन पत्र नामांकन पत्र का अग्रेषण का शुल्क रू. 8 / – प्रति छात्र संबंधित महाविद्यालयों को देय होगा।

2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।

3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा–2024 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconciliation करवाने का श्रम करें।

4. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को मुख्य समाचार पत्रों में एक बार समाचार के रूप में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

5. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई, बैंक, बापू नगर ब्रांच, विश्वविद्यालय केम्पस, जयपुर को भेजकर लेख है कि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन माध्यम से जमा परीक्षा शुल्क का Real Time Integration प्रक्रिया अपनाते हुये उसकी जानकारी संबंधित परीक्षा फॉर्म भरवाने वाली कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित करें। यदि किसी परीक्षार्थी का भुगतान Real Time Integration प्रक्रिया में सफल ना होने पर तत्काल रिफंड करें जिससे परीक्षार्थी / विश्वविद्यालय फीस रिफंड हेतु अनावश्यक परेशान ना हो।

6. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव / निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

7. समस्त उप–कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग / शैक्षणिक –द्वितीय / सेलर– I, II / परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

8. निदेशक, छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

उप कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

मुख्य परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं प्रोफेशनल के नियमित छात्र/छात्राओं का नामांकन/पंजीकरण कार्यालय आदेश क्रमांकः परीक्षा–6–अ/2022/1050 दिनांक 25.07.2023, परीक्षा–6–अ/2023/2433 दिनांक 15.09.2023, परीक्षा–6–अ/2023/1185 दिनांक 19.10.2023 व परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2024/1196 दिनांक 04.11.2023 के अनुसार किया जावेगा व छात्र को आवंटित रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर परीक्षा फॉर्म भरा जावेगा।
2. नियमित/पूर्व विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किये जाने पर ही भरे जा सकेगें।
3. स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म 2021, 2022 अथवा 2023 की परीक्षाओं में से दी गयी **अंतिम परीक्षा** में आवंटित रोल नम्बर से परीक्षा फॉर्म भरे जावेंगे:–
4. **कोविड–19 की वजह से परीक्षा–2020 में स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रोन्नत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा–2021 व 2022 में अगली कक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरने की कारण उनके प्रोन्नत प्रमाण पत्रों को स्वतः ही निरस्त कर दिया है। अतः ऐसे छात्र स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में पुनः स्नातक प्रथम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के लिए ही आवेदन करें।**
5. **वे परीक्षार्थी जिनका ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र रोल नम्बर से नहीं भरा जा रहा है अथवा भरे जाने में परेशानी हो रही हो वे परीक्षार्थी प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण अंकतालिकाओं की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपि के साथ विश्वविद्यालय में सम्पर्क करे। जिससे उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाने की कार्यवाही हो सके। प्रार्थना पत्र पर परीक्षार्थी स्वयं का मोबाईल नं. अवश्य अंकित करें, अन्यथा उनके प्रार्थना पत्र कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।**
6. परीक्षा फॉर्म दिशा–निर्देशों का अवलोकन कर सावधानीपूर्वक भरें। परीक्षा फॉर्म व नामांकन/योग्यता फॉर्म (परीक्षार्थी के राजस्थान विश्वविद्यालय में पूर्व में नामांकित नहीं होने की स्थिति में) की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर कर मय आवश्यक दस्तावेजों तथा पूर्व में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सभी अंकतालिकाओं के साथ **आगामी दो कार्य दिवसों में, परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं हो होगा। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।** अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा फॉर्म जमा करायें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार होंगे।
7. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से होगी। परीक्षा शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान होने की सूचना मिलने पर भुगतान का अपडेट सुनिश्चित किये जाने पर **(Payment Verify)** ही पुनः भुगतान 24 घंटे पश्चात् ही किया जावे। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापिस **(Refund)** नहीं होगा।
8. परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवदेन–पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। **ध्यान रहे अपना, पिता व माता का नाम वही भरें जैसा कि बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका में अंकित है।**
9. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि राजकीय मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। परीक्षा शुल्क के अलावा अन्य सभी निर्धारित शुल्क देय होगा।
10. **सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का चयन विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में से ही करें तथा एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।**
11. **नामांकन व परीक्षा फॉर्म जमा करने सम्बन्धी निर्देशः–**

(I) **जयपुर एवं दौसा जिले के परीक्षार्थियों हेतु व्यवस्थाः**

(अ) नियमित परीक्षार्थी अपने नामांकन व परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहाँ पर जमा करवायें।

(ब) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे, परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके है उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों एवं जयपुर शहर के सम्बन्धित संघठक महाविद्यालयों में परीक्षा फॉर्म जमा करवा सकेगें। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा फॉर्म के साथ विश्वविद्यालय को भेजें।

(स) स्वंयपाठी परीक्षार्थी नजदीकी सिटी/ऐरिया का चयन कर उससे संबंधित चयनित राजकीय महाविद्यालयों में अपने नामांकन व परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करायें। **(सिटीवाईज महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर देखें)**

12. परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में **निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाईल नम्बर** व आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है।
13. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व पत्र क्रमांकः परीक्षा–6–अ/2023/1006 दिनांक 20.10.2023 नियमित छात्र/छात्राओं की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
14. परीक्षा आवेदन पत्र, समय सारिणी तथा परीक्षा आयोजन संबंधी अन्य जानकारियों हेतु वेबसाईट **www.uniraj.ac.in and www.univraj.org** का निरंतर अवलोकन करते रहें।
15. जिन छात्रों ने परीक्षा–2023 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें। **उक्त छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अलग से अवसर देय नहीं होगा।** पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फॉर्म को अगली उच्च कक्षा में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बकाया शुल्क तथा अंकतालिका की प्रति सहित विश्वविद्यालय में जमा करावें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात् परीक्षा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुनर्मूल्यांकन से उत्तीर्ण नियमित परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय अधिनियम–157–ए (14) के तहत परीक्षा परिणाम घोषित होने से 21 दिवस में अथवा दिनांक 31.12.2023 तक संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा अन्यथा वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

16. स्नातक (कला / विज्ञान) / स्नातकोत्तर भूगोल विषय की परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः परिशिष्ठ–द के अनुसार निर्धारित **प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन पंजीकरण वेबसाईट www.uniraj.ac.in and www.univraj.org पर कराना होगा।** तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
17. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा–निर्देश वेबवाईट **www.uniraj.ac.in and www.univraj.org** पर उपलब्ध हैं। परीक्षा संबंधी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ठ "अ" देखें। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हैण्डबुक के संबंधित अधिनियम विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देशों का अवलोकन करें।
18. सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट www.univraj.org पर संबंधित कक्षा की श्रेणी (यथा नियमित / स्वयंपाठी / पूर्व छात्र) का चयन कर अध्ययन किये गये विषयों का चयन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरेंगे।
19. फॉर्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। **इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी।** निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड (एटीएम) / क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म व नामांकन / योग्यता फॉर्म (परीक्षार्थी के राजस्थान विश्वविद्यालय में पूर्व में नामांकित नहीं होने की स्थिति में) की हार्ड कॉपी का प्रिंट निश्चित रूप से प्राप्त करें। **परीक्षार्थी ध्यान रखें की परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं हो या आपके विवरण से मेल नहीं खाती हो तो पूर्व में भरे गये फॉर्म को निरस्त मानते हुये पुनः नया परीक्षा फॉर्म भरें तथा परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाऐं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढें।**
20. भरे गये परीक्षा फॉर्मो में आवश्यक संशोधनों के लिए संशोधन शुल्क रू. 260 / – ऑनलाईन जमा कराने पर पोर्टल के माध्यम से किये जा सकेगें।
21. महाविद्यालयों के नियमित / पूर्व परीक्षार्थियों एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा यथा समय निर्धारित होगा। आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना परीक्षार्थियों के परीक्षा प्रवेश–पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
22. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में **नामांकन / परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी** संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते है, उन्हे सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
23. परीक्षार्थी ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मो पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जाऐगें।
24. राजस्थान बोर्ड / राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी नामांकन फार्मो की हार्ड कॉपी के साथ मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन) एवं अंकतालिकाऐं साथ संलग्न करें।
25. **महाविद्यालयों द्वारा लोगिन आई.डी. का निर्माण, फॉर्म चैकिंग, नामांकन व परीक्षा फार्मो की कक्षावार / संकायवार सूची आदि से संबंधित आवश्यक निर्देशों यथा महाविद्यालय लोगिन आई.डी. / ई.मेल आई.डी.** का वेबसाईट **www.uniraj.ac.in** एवं www.univraj.org पर अवलोकन करें।
26. **नामांकन / परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी का अलग–अलग संकलन करने हेतुः**–सम्बन्धित महाविद्यालय नामांकन / परीक्षा फॉर्मो की हार्ड कॉपी को अलग–अलग कर पोर्टल पर वेरिफाई करके उनकी सूची का प्रिंट पोर्टल से लेकर उस सूची के अनुरूप सूची क्रमांक प्रत्येक नामांकन व परीक्षा फॉर्म पर अंकित कर उन्हे संकाय / कक्षावार फॉर्म संख्या के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नामांकन फार्मो को मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन) एवं अंकतालिकाओं कि फोटो प्रति के साथ सूची सहित नामांकन शाखा (कमरा नं. 118) में आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त **नामांकन फार्मो पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जावेगा।**
27. शैक्षणिक परिषद के निर्णयानुसार स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) हेतु पूर्वार्द्ध के पंजीकरण से पांच वर्ष की समय सीमा तय कर दी गयी है। उक्त नियम श्रेणी सुधार वाले परीक्षार्थियों पर भी लागू होगा। **अतः परीक्षा–2020 से पूर्व पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करेंगे।**
28. परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर **7726953531** अथवा टोल फ्री नम्बर **18001806433** एवं आई.सी.आई.सी. बैंक का हेल्प लाईन नम्बर **9372505528** पर सम्पर्क कर सकते हैं।
28. सेमेस्टर / वार्षिक की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क निम्नानुसार हैः–

Examination Fees Schedule

S.No.	Class	Fees prescribed
1	Regular Students	1450/- each semester
2	Non-Collegiate Students	5050/- for both Semesters

Note:- In addition to above fee schedule following fees shall also be charged:-

1- Practical Fee @ Rs. 170/- per paper for Regular and Non-Collegiate category students.
2- Enrollment Fee Rs. 340/- from Rajasthan Board Students and Rs. 680/- from other than Rajasthan Board Students.
3- Practical Training Fees of Rs. 1500/- per subject (for both semesters) shall be charged from Non-Collegiate Students belong to Science Faculty, whereas Rs. 1000/- per paper (for both semesters) shall be charged from the same category students belong to other than Science faculty.

FEE PAYABLE FOR UG/PG COURSES EXAM. 2023-24

S. No.	Name of Exam	Regular Exam. 2024	Ex. Student Exam. 2023	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
1	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./B.Des. Pt-I and Add-On Certificate (If already enrolled)	1450/-	1790/-	2600/-	1000/-	3600/-
2	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc.(Bio-Tech) /B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA/B.Des. Pt-I (If not enrolled) A- Non Rajasthan Board Students	2110/-	1790/-	3230/-	1000/-	4230/-
	B- Rajasthan Board Students	1790/-	-	2900/-	1000/-	3900/-
3	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.P.A./B.Des. Pt-II and Add-On Diploma	1450/-	1790/-	2750/-	1000/-	3750/-
4	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.P.A./B.Des. Pt-II (With due paper of Pt-I)	1960/-	2440/-	3890/-	1000/-	4890/-

S. No.	Name of Exam	Regular Exam. 2024	Ex. Student Exam. 2023	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
5	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./B.P.A./B.Des. Pt-III/IV and Add-On Post Diploma & Additional (For NC) (If already enrolled)	2110/-	2440/-	3410/-	1000/-	4410/-
6	B.A./B.Sc. Additional (If not enrolled)	-	-	4050/-	1000/-	5050/-
7	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/ B.Sc. Home Sc. Pt-III (Ord. 169 E)	-	2750/-	3410/-	1000/-	4410/-
8	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-III/IV (With due paper of Pt-I)	2640/-	3070/-	4690/-	1000/-	5690/-
9	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./B.Des. Pt-III/IV (With due paper of Pt-II)	2700/-	3170/-	4840/-	1000/-	5840/-
10	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./B.Des. Pt-III (With due paper of Pt-I & II)	3170/-	3650/-	5970/-	1000/-	6970/-
11	BVA/B.Mus./B.Des. Pt-IV (With due paper of Pt-I, II & III)	3230/-	4770/-	-	--	-
12	Fees for Physically Challenged Students of UG (for above all categories)	430/-	510/-	990/-	1000/-	1990/-
13	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.)/All (PG) Diploma (If already Enrolled)/Ord. 169 E-I	1870/-	2120/-	3070/-	1000/	4070/-
14	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.) and All (PG) Diploma (If Not Enrolled)	2520/-	-	3720/-	1000/	4720/-
15	M.A./M.Sc./M.Com (Final)/Addl/DCWA Pt-II/III/ Ord. 169/E-(1)/0.215/0.238/0.250	2350/-	2600/-	3960/-	1000/	4960/-
16	M.A./M.Sc./M.Com (Final) (With due papers of Prev. /Ord.169-E (11)	3000/-	3230/-	5500/-	1000/	6500/-
17	M.A./M.Sc./M.Com (Final) /(Ord. 169 E-II / (Due Papers of Final only)	-	1870/-	3070/-	1000/	4070/-
18	M.A./M.Sc./M.Com (Final) (Due Papers of Prev. only)	-	1790/-	3720/-	1000/	4720/-
19	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 169-D)	-	4200/-	5500/-	1000/	6500/-
20	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	-	-	5650/-	1000/	6650/-
21	Fees for Physically Challenged Students of PG (for above all categories)	660	750/-	1070/-	1000/	2070/-

FEE PAYABLE FOR PROFESSIONEL COURSES EXAM. 2023-24

S. No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student
1	Certificate Course in Yoga Edu.	1630/-	1720/-
2	B.Lib. & Info. Sc.	2110/-	2270/-
3	M.J.M.C. (Previous)	2110/-	2110/-
4	M.J.M.C. (Final)/P.G. Dip. In Yoga Ed./P.G. Dip. In Dramatics	2270/-	2270/-
5	B.Ed. Part-I	3560/-	4050/-
6	B.Ed. Part-II	3820/-	4310/-
7	B.Ed. Part-I (Due Paper) (One Paper)	1790/-	-
8	B.Ed. Part-I (Due Paper) (Two Paper)	2660/-	-
9	B.Ed. Part-I (Due Paper) (Three Paper)	3560/-	-
10	LL.B. I - Year	1630/-	1960/-
11	LL.B. II - Year	1960/-	2200/-
12	LL.B. III - Year	2110/-	2440/-
13	LL.B. (Due Paper) (One paper)	830/-	-
14	LL.B. (Due Paper) (Two paper)	1230/-	-
15	LL.B. (Due Paper) (Three paper)	Full Exam. Fee (Classwise)	
16	LL.M. Pt-I	1970/-	2270/-
17	LL.M. Pt-II	2270/-	2590/-
18	LL.M. Pt-II (Due Paper of Pt-I)	1110/-	1110/-
19	One Year P.G. Diploma in Law	2440/-	2900/-
20	Fees for Physically Challanged Students (for above all categories)	660	750/-
21	B.A./B.Sc. –B.Ed. Part-I	1450/-	1790/-
22	B.A./B.Sc. –B.Ed. Part-II	1450/-	1790/-
23	B.A./B.Sc. –B.Ed. Part-III	2640/-	3070/-
24	B.A./B.Sc. –B.Ed. Part-IV	2640/-	3070/-
25	With Due Paper of Part-I	2640/-	3070/-
26	With Due Paper of Part-II	2700/-	3170/-
27	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Part-IV (With Due Paper of Part-I)	2640/-	3070/-
28	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Part-IV (With Due Paper of Part-II)	2700/-	3170/-
29	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Part-III (With Due Paper of Part-I & II)	3170/-	3650/-
30	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Part-IV (With Due Paper of Part-I, II & III)	3230/-	4770/-

ENROLLMENT AND ELIGIBILITY FEES

1	**Enrollment Fee**	340/-
2	**Eligibility Fee** (For those candidates who have passed their qualifying exam. from other than the Board of Sec. Edu. Rajasthan)	340/-
3	Without late fee of enrollment up to November	Nil
4	With late fee of enrollment up to December	170/-
5	With late fee of enrollment up to March	310/-
6	Enrollment fee After commencement of Exam.	590/-

12.01.24

परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ठ–अ

अ–स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम

(विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हैंडबुक के संबंधित अधिनियम देखें जा सकते हैं, जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है)

1. अधिनियम–176 के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि से विगत 2½ वर्ष से जयपुर तथा दौसा जिले के निवासी ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें। इस आशय का प्रमाण–पत्र परीक्षा फॉर्म के साथ देना होगा। उक्त प्रावधान से निम्नलिखित को छूट मिलेगी।
   (अ) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित जिनका स्थानान्तरण दौसा तथा जयपुर जिले में हुआ हो।
   (ब) ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से उक्त जिलों में निवास करने लगे हों।
   (स) उक्त जिलों के मूल निवासी (Bonafide permanent resident)।
   (द) ऐसे रक्षा बल (Defence Personnel) जो उक्त जिलों में परीक्षा फॉर्म भरने की दिनांक को पदस्थापित हों।
2. स्नातक (बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम.) ऑनर्स कोर्स पार्ट–प्रथम में प्रवेश से 6 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण करनी होती है, अतः अपात्र परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवायें।
3. बी.बी.ए. वार्षिक पद्धति कोर्स पार्ट–प्रथम में प्रवेश से 5 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण करनी होती है, अतः अपात्र परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवायें।
4. अधिनियम–170–ए के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये विद्यमान होगा, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय–समय पर किया गया परिवर्तन/संशोधन भी लागू होगा।
5. अधिनियम–175 के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं है:– टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाईजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्यूकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्यूनिकेशन।
6. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
7. स्नातक/स्नातकोत्तर स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, **तो उन्हें संबंधित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से प्राप्त करना अनिवार्य है।** अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें।
8. **अधिनियम–81–I (A)** के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट–I उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदल कर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट–I में 45% अंक होना अनिवार्य है। सांयकालीन (SFS) महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त परीक्षार्थियों को इस अनिवार्यता से छूट होगी। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को भी 45% की अनिवार्यता से छूट होगी।
9. **अधिनियम–144** के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिये 75% उपस्थिति अनिवार्य है। 75% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें।
10. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने का प्रावधान नहीं है।
11. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ पर्शियन विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।
12. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरूष परीक्षार्थियों को गृह–विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
13. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते है।
14. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार **नॉन कॉमर्स** परीक्षार्थियों को बी.कॉम. पार्ट–I में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एण्ड अकाउन्टेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
15. स्नातक ऑनर्स, बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिये ही लागू है।
16. पूर्वछात्र (Ex-Student):– **अधिनियम–164** के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो संबंधित कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा की पूर्वछात्र (Ex-Student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्व छात्रों के परीक्षा फॉर्म उसी महाविद्यालय में जमा होगें जहाँ के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।
17. **अधिनियम–182** के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जावेगा।
18. **अधिनियम–168–ए एवं बी** के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाऐं निरस्त करने का प्रावधान है। संज्ञान आने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा जिसका भुगतान भी देय नही होगा।

ब–स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु कतिपय नियम

19. **स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 4, 7, 9, 17, 18 व 19 स्नातकोत्तर परीक्षा मे भी लागू होंगे।**
20. **एम.ए./एम.एस.सी. (वार्षिक पद्धति) भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप मे परीक्षा फॉर्म भर सकते है।** एम.ए./एम.एससी. (मेथेमेटिक्स) **विषय में वहीं आवेदन कर सकता है, जिसने स्नातक परीक्षा में मेथेमेटिक्स विषय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन बी.टेक उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी. (मेथेमेटिक्स) के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।**
21. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षार्थियों के लिये प्रावधान :–
    - (i) विश्वविद्यालय **अधिनियम 169–ई–(1)** के तहत स्नातक अन्तिम वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उतरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा–2023 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/ अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न–पत्र सहित) सभी प्रश्न–पत्रों में परीक्षा देनी होगी।
    - (ii) एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम. के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्व छात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न–पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।
22. **अधिनियम–169–H** के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात् यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/ अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।

परीक्षा नियंत्रक